संख्याः 279 /XXVI/2017–एक (11)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1

देहरादून, दिनांकः 04 सितम्बर, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आकस्मिकता निधि से "उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस" के कार्मिकों के वेतन व अन्य देयकों के भुगतान हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस" के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधान उपलब्ध न होने के कारण संलग्न S.ID ..... dt.....के अनुसार रू0 01.00 (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के आहरित करने एवं व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय उसी मद में किया जयेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय संबंधित वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों, बजट मैनुअल उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत एवं शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में करा दी जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, देहरादून के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी।
4. यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय तथा व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जाय, यदि कोई धनराशि उक्त तिथि तक अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जाय।
6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, उसके व्यय उपभोग की सूचना बी0एम0–8 प्रपत्र पर मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के हस्ताक्षर से सम्बन्धित आहरण बिल पर निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, देहरादून के प्रति हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय नियमानुसार USCPPGG द्वारा किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः–8000– राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि के विनियमन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं–092–अन्य कार्यालय– 08–कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा तथा अन्ततः "उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस" योजना हेतु सृजित किये जाने वाले लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—123 मतदेय/XXVII(5)/2017—18, दिनांक 25—09—2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

रा0आ0 निधि संख्याः 27/XXXII/(1)/2017—18—तद्दिनांक 21—09—2017

प्रतिलिपि— प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड लेखा एवं हकदारी, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पंत)
अपर सचिव (वित्त)

संख्याः 279 /XXVI/एक(11)/2017— तद्दिनांकित।

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2— महालेखाकार (ऑडिट) वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून।
3— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USCPPGG, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7— वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
8— वित्त अनुभाग—1 उत्तराखण्ड शासन।
9— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप सचिव।